कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-18.04.2025

विषयः- गोवध निवारण अधि0 व पशु क्रूरता अधि0 के मुकदमे में वांछित, 25000/- रू0 का इनामिया अभियुक्त विकास थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-221/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित 25,000/- रू0 का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त विकास पुत्र चुलबुली निवासी ग्राम खेवसीपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को आज दिनांक-18.04.2025 को समय करीब 08.15 बजे ग्राम खेवसीपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त विकास ने पूछताछ करने पर बताया कि 17 मई 2023 को मैं अपने अन्य साथियों जोगेन्द्र पाल, डब्बू और भोरिक के साथ पिकअप में जानवर लादकर खेवसीपुर से मुरली धरसौना होते हुए चन्दौली जा रहे थे कि मुरली अन्डरपास के पास पुलिस ने हमारी गाड़ी रोक लिया था एवं मेरे साथी लोगों को पकड़ लिया था लेकिन मैं उस समय अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया था।

इनाम की राशि- 25,000/- रू0

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विकास पुत्र चुलबुली निवासी ग्राम खेवसीपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर, उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ़्तारी का दिनांक, समय व स्थान- दिनांक 18.04.2025 को समय करीब 08.15 बजे ग्राम खेवसीपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर से।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 221/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1- उ0नि0 चन्दन कुमार थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

2- उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

3- हे0का0 दीपक पाण्डेय थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।